कार्यालय नगर निगम अजमेर
दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
(DAY-NULM)
–ः संक्षिप्त विवरणः–

आवास एवं शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुर्नगठित कर इसका नाम ''राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)'' कर दिया गया था। वर्तमान में योजना का नाम भारत सरकार द्वारा **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** कर दिया गया है।

इस मिशन का उद्धेश्य ''**शहरी गरीब परिवारों**'' की ''**आजिविका**'' में सुधार करना है।
इस योजना में बी.पी.एल परिवारों के अलावा स्टेट बी.पी.एल परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार एवं अन्य शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है को DAY-NULM में लाभ दिलवाया जाता है।

योजनान्तर्गत शहरी गरीबो के आजीविका में सुधार हेतु 5 महत्वपूर्ण घटक शामिल किए गए है, जो निम्नानुसार है –

1. **स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP)** :– इस घटक के तहत शहरी गरीब परिवारो को स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापिकत करने या उद्यम को बढ़ाने हेतु 2 लाख तक व्यक्तिगत ऋण मात्र 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दिलवाया जाता है। ऋण आवेदनो को बैंको में ऋण हेतु भेजने से पूर्व टास्क फोर्स कमेटी द्वारा जांचा जाता है। **7** प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाती है ।

ऋण प्राप्ति हेतु पात्रता :–

– आयु – 18 से 50 वर्ष तक शहरी गरीब परिवार व्यक्तियों
– परिवार का कोई सदस्य किसी भी वित्तीय संस्थान का ऋण डिफॉल्टर ना हो।

2. **कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेस्मेंट के माध्यम से रोजगार (ESTP)**
   – 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार/ दैनिक मजदूरी करने वाले महिला/पुरूषो को विभिन्न ट्रेडो में 3 से 6 माह का कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेस्मेंट ।
   – कौशल प्रशिक्षण MSME,CIPET,ILD SKILL UNIVERSITY के माध्यम से करवाया जा रहा है।
   – प्रशिक्षण उपंरात 70 प्रतिशत सफल प्रशिक्षणार्थियों विभिन्न प्राईवेट संस्थानो/कम्पनियो मे नौकरी दी जानी/स्वरोजगार स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।
3. **सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (SM&ID)**
   – इस घटक के तहत महिलाओं को सामाजिक गति देकर संस्थागत विकास हेतु स्वंय सहायता समूहों का गठन किया जाता है। स्वंय सहायता समूहों के गठन एवं 2 वर्ष तक स्वंय सहायता समूहों की

देख–रेख NGO के माध्यम से करवाई जाती है। एक SHG समूह में 10 से 20 सदस्य हो सकते है। जिसमें 70 प्रतिशत शहरी गरीब परिवार के होने आवश्यक है।

– समूहो द्वारा नियमित 3 माह तक बचत करने, आपस मे ऋण कार्यवाही करने पर प्रति समूह 10,000/– रिवोल्विग फण्ड राशि की सहायता योजनान्तर्गत दी जाती है।
– 1–2 वर्ष तक नियमित बचत करने, किसी प्रकार की व्यवसायिक गति प्रारम्भ करने पर स्वरोजागार हेतु बैंको के माध्यम से ऋण की सुविधा दिलवाई जाती है।
– 10–20 स्वंय सहायता समूहो को मिलाकर ALF (Area Level Federation) का गठन किया जाता है।

4. शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) :–

शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) गरीब परिवारो तथा शहर के अन्य परिवारों के लिये निम्न सेवाये प्रदान की जाएगी–

1. शहरी गरीब मजदूरों एवं शिक्षित युवाओं को पंजीकृत कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करना।
2. स्वयं सहायता समूहो (SHGs) के उत्पादो की ब्रिकी में पूर्ण सहयोग करना।
3. महिला समूहों (SHGs) को रोजगार के अवसर सृजित करना तथा आमजन को पर्यावरण संक्षरण के लिये जागरूक करना।
4. शहरी गरीब सफाई कर्मियों को रोजगार के अवसर सृर्जित करना।
5. कामगार माताओं के लिए क्रेच (Creche) सर्विस उपलब्ध कराना।
6. महिला समूहों व शहरी गरीबों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करना।

5. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (SUSV):–

– इस योजनान्तर्गत शहर के पथ–विक्रेताओं का सर्वे करवाया जाकर, उनका रजिस्ट्रेशन कर, उन्हे पहचान–पत्र जारी किये जाएगें।
– राज्य सरकार के निर्देशानुसार उन्हे स्थान उपलब्ध कराने, सूक्ष्म रोजगार लगाने एवं अन्य योजनाओ के तहत् लाभान्वित किया जाएगा।

6. शहरी बेघरों के लिये आश्रय की योजना (SUH) :–

आश्रयस्थलों मे आश्रयविहीन महिला/पुरूषो को निम्न सुविधाये उपलब्ध करवाई जानी आवश्यक होगी :–

1. स्वच्छ आवास एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।
2. शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल, हवा, लाईट, व सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराना।
3. सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना।
4. 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजन, निःशक्तजनों एवं बच्चों को निःशुल्क भोजन ।
5. समाज की मुख्य–धारा से जोडने एवं सम्मान जनक जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से काउसिंलिग करना। काउसिंलिग हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकेगा।
6. बीमारों एवं नशा युक्त व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

अजमेर शहर की प्रगति

1. SEP (Self Employment Program) – इस घटक के तहत अब तक 2027 आवेदन बैंको को टास्क फोर्स कमेटी के अनुमोदन पश्चात भिजवाए गये थे। जिनमें से 768 आवेदको को ऋण स्वीकृत किया जाकर राशि 415.66 लाख वितरित की जा चुकी है।

2. **EST&P (Employment through Skills Training and Placement)** – इस घटक के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु अब तक 28 आवेदन भरवाये जा चुके है जिसमें 970 आवेदको को प्रशिक्षण दिलवाया जाकर 620 आवेदको को रोजगार उपलब्ध करवाया जा चुका है। वर्तमान में 218 आवेदन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रो में भिजवाये जा चुके हैं।

3. **SM&ID (Social Mobilisation & Institutional Development)** – इस घटक के तहत 4 NGO की मदद से अब तक 695 स्वंय सहायता समूह एवं 25 ALF (Area Level Federations) का गठन किया जा चुका है। जिनमें से 610 SHGs को सहायतार्थ राशि रू. 10000/– प्रति समूह कुल राशी 60,10,000/– उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इन SHGs में से 155 SHGs द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है एवं इनके द्वारा तैयार किए जा रहे माल को SHG की महिलाओं द्वारा स्वंय के स्तर से एवं अरबन हॉट बाजार में लगने वाले मेलों के दौरान निःशुल्क दुकान उपलब्ध करवायी जाकर आमदनी बढ़ायी जा रही है। साथ ही 148 SHGs को बचत के आधार पर बेंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।

4. SUSV (Support to Urban Street Vendors) –इस घटक के तहत अजमेर शहर में स्ट्रीट वेण्डर्स का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है। 1764 वेण्डर्स पुराने पंजीकृत है। एवं 2669 नये वेण्डर्स पंजीकृत किये गये। इस प्रकार कुल 4433 स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण किया गया है। राजस्थान स्ट्रीट वेण्डर्स नियम 2016 की अनुपालना में शहर में टाउन वेडिंग कमेटी का गठन करवाया जाकर शहर में 31 वेडिंग जोन एवं 34 नॉन–वेडिंग जोन का निर्धारण किया जा चुका है एवं वेडिग ओर नॉन वेंडिंग के बोर्ड लगवाये जा चुके है। अब तक 1432 पहचान कार्ड वितरित किये जा चुके है। वर्तमान में वैशाली नगर एवं सब्जी मंडी इदगाह केसरगंज में वेडिंग जोन को विकसित करने का कार्य किया जा चुका है। वर्तमान मे अन्यकर शाखा द्वारा वेन्डर्स को नॉन–वेडिंग जोन से हटाकर वेडिंग जोन में शिफ्ट किये जा रहै है।

5. SUH (Shelters for Urban Homeless) – इस घटक के तहत शहर में आश्रयविहिन लोगो के रहने एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 7 आश्रय स्थलो (पड़ावक्षेत्र, आजाद पार्क, देहली गेट, जेएलएन अस्पताल परिसर रेडक्रोस सोसायटि के सामने और जेएलएन कार्डियोलोजी विभाग के पास , जनाना अस्पताल परिसर एवं कोटडा प्राईवेट बस स्टैण्ड परिसर) का संचालन संस्थाओ के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें ठहरने वाले आश्रयविहिन लोगो को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। आश्रय स्थलो में महिलाओं हेतु पृथक से हॉल, शौचालयों की व्यवस्था है। ठहरने वाले लोगो को सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आश्रय स्थल पर केयर गिवर्स एवं साफ–सफाई हेतु सफाई कार्मिक कार्यरत है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
(DAY-NULM)
आश्रय स्थल

वर्तमान में अजमेर शहर में DAY-NULM के तहत 7 स्थाई आश्रय स्थलो का संचालन किया जा रहा है जो कि निम्नानुसार है –

क. स.	आश्रय स्थल का नाम एवं पता	क्षमता	भौतिक स्थिति
1	आश्रय स्थल पार्वती ऑयल मिल के पास ,पडाव अजमेर।	76	संचालित
2	आश्रय स्थल आजाद पार्क के सामने अजमेर क्लब के पास अजमेर।	60	संचालित
3	आश्रय स्थल झूलेलाल मन्दिर के सामने देहली गेट अजमेर।	60	संचालित
4	आश्रय स्थल जे.एल.एन.अस्पताल परिसर, अजमेर।	50	संचालित
5	आश्रय स्थल प्राईवेट बस स्टेण्ड परिसर कोटडा अजमेर।	50	संचालित
6	आश्रय स्थल राजकीय महिला चिकित्सालय (जनाना अस्पताल) चाचियावास रोड़ अजमेर।	50	संचालित
7	आश्रय स्थल जेएलएल अस्पताल परिसर ह्दय विभाग के पास	50	संचालित

इन आश्रय स्थलों में निम्न सुविधाये उपलब्ध करवाई जा रही है –

- सभी आश्रय स्थलो में सभी आवश्यक सुविधांए (यथा पलंग,बिस्तर, रजाई, तकीये, पीने एवं नहाने हेतु पानी, बिजली, रहने हेतु महिला व पुरूषो को पृथक–पृथक हॉल व शौचालय, मेडिकल किट आदि) उपलब्ध करवाई जा रही है।
- सभी आश्रय स्थलों में सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु केयर टेकर (8–8 घंटे की शिफ्ट से 3 केयर टेकर) एवं 1 सफाई कर्मचारी की व्यवस्था है।
- शीत ऋतु मे तापने हेतु लकडियों की व्यवस्था की जाती है।
- आश्रय स्थलों की जानकारी के फ्लेक्स सभी आश्रय स्थलो पर लगाये हुये है एवं शीत ऋतु मे फ्लेक्स एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से भरपूर प्रचार प्रसार किया जाता है।

''खुशियों की दुकान''

दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम अजमेर के द्वारा सात स्थानों पर संचालित आश्रय स्थलों में "खुशियों की दुकान" का शुभारम्भ किया गया है।

यह है " खुशियों की दुकान "

"खुशियों की दुकान" के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि अपने पास रखे अतिरिक्त कपडे, स्टेशनरी, बच्चो के खिलौने, बर्तन आदि का दान कर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साथ ही जरूरमंद लोग आवश्यकतानुसार वस्तुओं को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये दूरभाष नम्बर 0145– 2429922 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

इन स्थानों पर खुली " खुशियों की दुकान "

" खुशियों की दुकान " का शुभारम्भ निम्न आश्रय स्थलों में किया गया हैः–

1. आश्रय स्थल आजाद पार्क के सामने, अजमेर क्लब के पास, अजमेर।
2. आश्रय स्थल झूलेलाल मन्दिर के पास, देहली गेट, अजमेर।
3. आश्रय स्थल पार्वती ऑयल मिल के पास, पड़ाव, अजमेर।
4. आश्रय स्थल प्राइवेट बस स्टैण्ड कोटड़ा, अजमेर।
5. आश्रय स्थल जे.एल.एन. अस्पताल परिसर, बजंरग चौराहा, अजमेर।
6. आश्रय स्थल राजकीय महिला चिकित्सालय, चाचियावास रोड़, अजमेर।
7. आश्रय स्थल हृदय रोग विभाग के पास जे.एल.एन. अस्पताल परिसर।

नगर निगम अजमेर

इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का संक्षिप्त विवरण

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा 2021–22 की पालना में इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले स्ट्रीट वेण्डर्स उम्र की बाध्यता नहीं, साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शावालाा, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, धोबी, रंग–पेंट करने वाले, नल–बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं जिनकी आयु 18 से 40 के मध्य हो तथा बेरोजगारी भत्ता नही मिल रहा है, को बैंको के माध्यम से रूपये 50000/ तक का ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसमें ऋण वितरण के पश्चात 3 माह का मोरेटोरियम का लाभ दिया जाएगा। ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि मोरेटोरियम के पश्चात 12 माह की होगी।

जिला स्तर पर जिला कलक्टर को इस योजना के क्रियान्वयन एवं मानीटरिंग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसके द्वारा नगर निकायों को आवंटित लक्ष्य के आधार पर प्रत्येक वर्ग के स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा अथवा अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की गाईडलाइन के अनुसार पहचान सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा की जाएगी। योजना में आवेदन हेतु आवेदक राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार हैं–

- पासपोर्ट आकार की फोटो
- जनाधार कार्ड
- आधार कार्ड
- राजस्थान में वर्तमान निवास से सम्बन्धित दस्तावेज
- राजस्थान में स्थायी निवास से सम्बन्धित दस्तावेज
- बैंक खाते की पासबुक

योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु रोजगार संबन्धित दस्तावेज निम्नानुसार हैं–

- पथ–विक्रेता हेतु वेंडिग आईडी कार्ड, नगर निकाय द्वारा जारी सिफारिश पत्र।
- अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्तियों हेतु श्रमिक कार्ड।
- बेरोजगार युवाओं हेतु जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गयी पंजीकरण संख्या।
- आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित शपथ पत्र भी लगाना होगा जिसमेंः–

1. वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण संबन्धित सूचना (यदि कोई हो तो)।
2. व्यापार/व्यवसाय का प्रकार।
3. मासिक आय की स्वघोषणा (मासिक आय 15000 से कम हो)।
4. मासिक पारिवारिक आय का विवरण सम्मिलित हो (मासिक आय 50000 से कम हो)।

आवेदक ईमित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है अथवा स्वयं के स्तर पर भी SSO ID के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन कर सकता है।